महत्वपूर्ण –समय सीमा

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर
दूरभाष.2552646,2552878 फैक्स 2552406
Email enc wrbpl@mp.nic.in

–0–

क्रमांक 3317001/51/2019 – 1051 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई,2019

प्रति,

1 आयुक्त,
कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,
जल संसाधन विभाग,भोपाल(33)

2 आयुक्त,
भू–अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना,जल संसाधन विभाग,रींवा(04)

3 मुख्य अभियंता,
चम्बल बेतवा कछार,
जल संसाधन विभाग,भोपाल(02)

4 मुख्य अभियन्ता,
बैनगंगा कछार,जल संसाधन विभाग,
सिवनी(19)

5 मुख्य अभियन्ता,
गंगा कछार जल संसाधन विभाग,
रीवा(09)

6 मुख्य अभियन्ता,
राजघाट नहर परियोजना जल संसाधन विभाग,दतिया(17)

7 मुख्य अभियन्ता,
नर्मदा ताप्ती कछार,जल संसाधन विभाग, इन्दौर(03)

8 मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग
होशंगाबाद(27)

9 मुख्य अभियंता,
धसान केन कछार,जल संसाधन विभाग
सागर(05)

10 परियोजना संचालक,
एम.के.पी.एम.यू.राजगढ
{ब्यावरा}–465661}

11 मुख्य अभियन्ता,
यमुना कछार,जल संसाधन विभाग,
ग्वालियर(26)

12 मुख्य अभियन्ता,
विद्युत यांत्रिकी,जल संसाधन विभाग
भोपाल(11)

13 मुख्य अभियन्ता,
ब्यूरो आफ डिजाईन(बोधी) भोपाल(31)

14 वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग
भोपाल (01)

विषयः– अधिकारियो/कर्मचारियों का स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यमुक्त करने बाबत ।

संदर्भः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 26 जून,2019

–0–

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि अधिकारियो/कर्मचारियों का स्थानान्तरण शासन अथवा इस कार्यालय के विभिन्न आदेशो के माध्यम से एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालयों में पदस्थापना परिगर्तित किया गया अथवा स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत पदस्थापना परिवर्तित किया गया है, उक्त आदेशों की प्रति विभागीय वेबसाईट अथवा ई–मेल के माध्यम से आपको एवं सम्बन्धित कार्यालयों को भेजी गई है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 6–1/2019/ एक/9 दिनांक 04 जून,2019 द्वारा प्रसारित निर्देशों {कण्डिका–15} के अनुपालन में सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख {डी.डी.ओ} द्वारा दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें ।

–2–

2– उक्त अवधि में सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख {डी.डी.ओ} द्वारा कार्यमुक्त न किए जाने की दशा में उक्त निर्देश की कण्डिका–15.1 में निहित निर्देशों के अनुपालन में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कर्त्तव्य होगा कि वे नवीन पदस्थापना हेतु अपने आपको एक तरफा कार्यमुक्त मानते हुऐ नवीन कार्यालय में कार्यग्रहण कर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख {डी.डी.ओ} को सूचित करेगें ।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदत्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित न होने की दशा में सिविल सेवा आचरण नियमो अन्तर्गत जितनी जवाबदारी वर्तमान सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख {डी.डी.ओ} की होती है, उतनी ही जवाबदारी सम्बन्धित शासकीय सेवक की मानी जावेगी । साथ ही ऐसी दशा में जिन शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण परिवर्तित कार्यालयों में किया गया है, उक्त कार्यालय प्रमुख {डी.डी.ओ} की भी जवाबदारी होगी कि सम्बन्धित शासकीय सेवक द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन सुनिश्चित नही किए जाने पर, जानकारी पूर्ण विवरण सहित सीधे कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को सम्प्रेषित करने की जवाबदारी सुनिश्चित की जाती है ।

4– आपसे अनुरोध है कि कृपया आपने संरचनान्तर्गत प्रथमतः प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के पालन प्रतिवेदन {आदेश क्रमांक एवं नामवार–पूर्ण विवरण} इस कार्यालय को सम्प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें । ताकि शासन को उक्त स्थिति से अवगत कराया जा सके । साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में स्थानान्तरण सम्बन्धी पालन प्रतिवेदन का संधारण अपने कार्यालय स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित करावें । ताकि शासन द्वारा चाहे जाने पर समय–सीमा अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन प्रेषित कराया जा सके ।

A. Mishra
(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक 3317001/51/2019 -1052 भोपाल, दिनांक 10 जुलाई,2019
प्रतिलिपिः–

1– समस्त अधीक्षण यंत्री, {मण्डल}..........
2– समस्त कार्यपालन यंत्री, {संभागीय}..........
3– वेब मैनेजर {EIMS} कार्यपालन यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर तत्काल विभाग की बैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु ।
4– सम्बन्धित पटल प्रभारी {कक्ष–331......... }कृपया आपसे सम्बन्धित जानकारी का संधारण किया जाना सुनिश्चित करें ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

A. Mishra
(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)